न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बी.एल.कोठारी**
आई.एस.एस

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
गणेशाराम पुत्र लखमाली जाति देवासी निवासी सांतरू तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1.सूरता पुत्र धुडा 2.प्रभु पुत्र धुडा 3.केशा पुत्र धुडा 4.जेरूपा पुत्र धूडा 5.रतना पुत्र धुडा 6.मृतक राजी वल्द रूगा के कायम मुकाम:- 6/1.रायमा पुत्र राजी 6/2.समू पुत्र राजी 7.जामा पुत्र सामती 8.समेला पुत्र जोईता 9.करमी पुत्र जोईता समस्त जाति रेबारी निवासी सांतरू तहसील रानीवाडा 10.तहसील रानीवाडा

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 10/2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पक्षकारान् के अधिवक्ता:-

1.श्री सतपाल पुरोहित, अभिभाषक प्रार्थी।

2.श्री जगदीश गोदारा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 से 9

3.श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक

आदेश

दिनांक 23.05.2018

1. प्रार्थी के अभिभाषक ने यह प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर रानीवाडा के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 11/2014 अनवान सूरता बनाम फूली को सहायक कलेक्टर,जालोर के न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया।अप्रार्थीगण की ओर से उनके वकील ने उपस्थित होकर पैरवी की व जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस में तर्क दिया कि प्रार्थीगण गणेशा पुत्र लखमा जाति रबारी निवासी सांतरू तहसील रानीवाडा द्वारा अपनी भूमि के बंटवाडा को लेकर एक प्रकरण संख्या 11/2014 अनवान सूरता बनाम फूली दावा बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में उपखंड कार्यालय रानीवाडा से निष्पक्ष न्याय मिलने को उम्मीद नही होने से उक्त प्रकरण का उपखंण्ड कार्यालय जालोर में जिला कलेक्टर जालोर के आदेश दिनांक 06.10.2015 के आदेश से स्थानानतरित जालोर के लिये करवा दी थी और प्रार्थी ने जालोर में अपना वकील भी नियुक्त कर लिया था और अपने वकील साहब के मेहनताना का भुगतान पुरा कर लिया था और हमारी बिना सहमति के जालोर उपखण्ड कार्यालय से पुन: पत्रावली रानीवाडा भेज दी गई है तो वहां पर प्रार्थी को नया वकील नियुक्त करने में आर्थिक कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है।जिससे में दो दो वकील नियुक्त करने में असमर्थ हूँ।रानीवाडा न्यायालय में जाते है तो वादीगण ने प्रार्थी के उपर हमला भी दो बार किया है। इस तरह से भय व राजनैतिक दबाव से प्रार्थी को वहां से सही न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है इस कारण से जालोर

Sd/-

न्यायालय में पत्रावली तलब की जाये। उक्त पत्रावली पहले एस.डी.एम. रानीवाडा में विचाराधीन थी। उसके पश्चात जालोर एस.डी.एम. साहब में

अन्तरित की गई थी उक्त पत्रावली जालोर एस डी एम कोर्ट से वापिस एस डी एम रानीवाडा में प्रार्थी की बिना सहमति के किसी कारण से भेज दी गई है। जबकि जालोर के न्यायालय में उक्त प्रकरण के न्यायोचित कार्यवाही की जा रही थी। प्रार्थी अपने वाद का निस्तारण जालोर के न्यायालय में ही करवाना है। इसलिए न्यायहित में उक्त पत्रावली जालोर एस.डी.एम. कोर्ट में न्यायालय एस.डी.एम. रानीवाडा से जालोर उपखण्ड कार्यालय में उक्त प्रकरण का स्थानान्तरण करवा कर प्रार्थी को न्याय दिलावे।

अत: उक्त प्रकरण 11/2014 का न्यायहित के लिये रानीवाडा एस. डी.एम.कोर्ट से जालोर एस.डी.एम.कोर्ट में सुनवाई के लिये आदेश प्रदान करावे।

4. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस में तर्क दिया कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व एक दावा पेश किया था। प्रतिवादी ने पूर्व में सहायक कलेक्टर रानीवाडा के पीठासीन अधिकारी पर गलत व झुठे आरोप लगाकर पत्रावली श्रीमान के न्यायालय में स्थानान्तरित करवाई थी, मगर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी जी का स्थानान्तरण होने के बाद अप्रार्थीगण ने जिला कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली वापस स्थानीय न्यायालय सहायक कलेक्टर में भेजने हेतु निवेदन किया। जिस पर सुनवाई की जाकर पुन: उक्त वाद को सहायक कलेक्टर महोदय रानीवाडा की अदालत में भेजने के आदेश दिये तथा आदेश की पालना अनुसार पत्रावली रानीवाडा न्यायालय में पहुँच चुकी है तथा सुनवाई में है। गणेशा शिकायती प्रवृति का व्यक्ति है तथा आने वाले हरेक पीठासीन अधिकारी के विरूद्व शिकायत कर पत्रावली ट्रांसफर करवाना चाहता है। उक्त प्रकरण बंटवाडा का है तथा बंटवाडा में हम प्रार्थीगण को जहां बंट दिया जावे वहां पर लेने के लिये तैयार है तथा राजस्व रेकर्ड के अनुसार ही हमने बंट मांगा है। अप्रार्थीगण ने कोई राजनैतिक दबाव नही बताया। राजनैतिक दबाव की स्थिति में पीठासीन अधिकारी खुद को पत्रावली पर दबाब के कथन उल्लेखित कर पत्रावली स्थानान्तरित करवाने हेतु श्रीमान को भेजने का अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश वाद स्थानीय न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा के क्षेत्राधिकार का है। अत: बिना किसी ठोस कारण के अभाव में पत्रावली स्थानान्तरित किया जाना उचित नहीं है। पत्रावली स्थानान्तरित में किसी की सहमति की आवश्यकता नही होती है। कोई भी व्यक्ति या पक्षकार अपनी इच्छा से किसी अदालत विशेष में सुनवाई नहीं करवा सकता है।

अत: उक्त प्रकरण राजस्व मूल वाद संख्या 11/2014 न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा की पत्रावली न्याय हित में रानीवाडा के स्थानीय न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय रानीवाडा की अदालत में रखवा की ही सुनवाई करवाने के आदेश फरमावे।

5. सरकारी अभिभाषक ने बहस मे तर्क दिया कि अगर प्रार्थीगण किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो विधी के अनुसार अपील आदि या अग्रिम कार्यवाही करने के प्रावधान है। प्रकरण विचाराधीन है।

6. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने दिनांक 26.08.2015 को जिला कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्व वाद संख्या 11/14 सूरता बनाम फूली दावा बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेद्याज्ञा की पत्रावली में निष्पक्ष न्याय नहीं मिलने की आशंका में जिला मुख्यालय पर स्थित सहायक कलेक्टर जालोर के न्यायालय में पत्रावली स्थानान्तरित करने की मांग पर कार्यालय हाजा द्वारा

Sd—

जरिए आदेश 2267-70 दिनांक 06.10.2015 को प्रकरण उपखंड अधिकारी रानीवाडा से विड्रो कर उपखंड अधिकारी जालोर के न्यायालय में

स्थानान्तरित किया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 5 व 9 ने प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। प्रकरण पुनः सहायक कलेक्टर जालोर से सहायक कलेक्टर रानीवाडा के न्यायालय में भिजवाया जावे। जिस पर कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक/कोर्ट/1578-81 दिनांक 07.09.2017 के द्वारा उपखंड अधिकारी जालोर से विड्रो कर उपखंड अधिकारी रानीवाडा के न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया।

प्रकरण में अब प्रार्थी द्वारा पुनः सहायक कलेक्टर रानीवाडा के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 11/2014 अनवान सूरता बनाम फूली को सहायक कलेक्टर,जालोर के न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिस पर संबंधित पक्षो को सुना गया।

प्रार्थी द्वारा व्यक्त की गई परिस्थितियो को मध्य नजर रखते हुये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 235 के तहत सहायक जिलाधीश (उपखंड अधिकारी) रानीवाडा के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 11/2014 अनवान सूरता वगैराह बनाम फूली वगैराह दावा बाबत बंटवाडा व स्थायी निषेद्याज्ञा जारी करने, को उक्त न्यायालय से विड्रो किया जाकर प्रकरण नियमानुसार विधी पूर्वक सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु सहायक जिलाधीश (उपखंड अधिकारी) जालोर को स्थानान्तरित किया जाता है। सहायक जिलाधीश (उपखंड अधिकारी) जालोर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में संबंधित पक्षकारो की दिन प्रति दिन सुनवाई की जाकर नियमानुसार विधी सम्मत आदेश पारित करे।

Sd/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 23.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर